

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर-302005)

email- secraj@rajasthan.gov.in, Ph/FAX 0141-2227280, 2227072

क्रमांक: एफ. 7(1)(2)/पंचा/रानिआ/2019/2677

दिनांक: 21.06.2021

जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) (कलक्टर)

भरतपुर, दौसा, जयपुर, जोधपुर,

सवाईमाधोपुर, श्रीगंगानगर एवं सिरौही ।

विषय:-पंचायतीराज संस्थाओं (जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य) के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण हेतु कार्यक्रम।

संदर्भ:-आयोग का पत्रांक 1094/09.02.2021, 1368/24.02.2021 एवं 2366/15.04.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र दिनांक 09.02.2021 के द्वारा 12 जिलों की जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव हेतु निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्यक्रम एवं विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। निर्वाचक नामावली के उक्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से राज्य सरकार द्वारा नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित आपके जिले की निम्नलिखित पंचायत समितियों को पुनरीक्षण कार्यक्रम से पृथक रखा गया था :-

क्र. सं.	जिले का नाम	क्र.सं.	पंचायत समिति का नाम
1.	भरतपुर	1.	नगर
		2.	उच्चैन
2.	दौसा	3.	लालसोट
3.	जयपुर	4.	बस्सी
		5.	पावटा
4.	जोधपुर	6.	भोपालगढ़
5.	सवाईमाधोपुर	7.	बामनवास
6.	श्रीगंगानगर	8.	सादुलशहर
7.	सिरौही	9.	सिरौही

स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अधिसूचना क्रमांक 429 दिनांक 23.02.2021 के माध्यम से नगरपालिकाएं, जिनके सृजन से उक्त पंचायत समितियां प्रभावित हुई थी, के गठन हेतु जारी की गई अधिसूचनाओं को निरस्त/विखण्डित कर दिया जाने से आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 24.02.2021 के द्वारा उक्त पंचायत समितियों सहित 12 जिलों की कुल 18 पंचायत समितियों की निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु कार्यक्रम प्रेषित किया गया था। उक्त कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 19.04.2021 को होना निर्धारित था। इसी दौरान राज्य सरकार द्वारा पुनः नगरपालिकाओं के सृजन करने एवं इन नवगठित नगरपालिकाओं में सम्मिलित किए गए क्षेत्रों को पंचायतीराज संस्थाओं से पृथक करने संबंधी आदेश जारी कर दिए गए। राज्य सरकार के उक्त आदेश से प्रभावित ग्राम पंचायतों की तैयार निर्वाचक नामावली का औचित्य नहीं रह गया। इसके लिए आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 15.04.2021 के द्वारा नवगठित नगरपालिकाओं से प्रभावित पंचायत समितियों में सम्मिलित ऐसी ग्राम पंचायतों के लिए ही निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन करने के निर्देश प्रदान किए गए थे जो नवीन नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित नहीं थी।

दिनांक

नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्गठन के कार्य से उक्त 9 पंचायत समितियों के निर्वाचन क्षेत्रों एवं इनसे संबंधित जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों में कमी हो सकती है अथवा निर्वाचन क्षेत्र संख्याक में परिवर्तन हो सकता है।

अतः उक्त परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगरपालिकाओं के गठन से प्रभावित पंचायत समितियों (नगर, उच्चैन, लालसोट, बस्सी, पावटा, भोपालगढ़, बामनवास, सादुलशहर एवं सिरोही) में सम्मिलित समस्त ग्राम पंचायतों, उनसे संबंधित पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों की निर्वाचक नामावली राज्य सरकार के उक्त आदेश दिनांक 03.06.2021 के अनुसरण में किए जाने वाले नवीन परिसीमन के अनुसार नए सिरे से तैयार की जानी है।

अतः उक्त 9 पंचायत समितियों में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव के लिए निर्वाचक नामावलियां तैयार करने हेतु पुनरीक्षण कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:-

क्र. सं.	कार्य विवरण	अवधि
1.	निर्वाचक नामावलियों का प्रारूप प्रकाशन	13.07.2021 (मंगलवार) को
2.	दावों एवं आक्षेपों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	22.07.2021 (गुरुवार) को
3.	विशेष अभियान की तिथि	18.07.2021 (रविवार) को
4.	दावों एवं आक्षेपों के निस्तारण की अवधि	28.07.2021 (बुधवार) तक
5.	पूरक सूचियों की तैयारी	02.08.2021 (सोमवार) तक
6.	निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन	05.08.2021 (गुरुवार) को

प्रारूप निर्वाचक नामावलियां तैयार करने हेतु प्रपत्र ए-1 तैयार करने, ई-सूची पर अपलोड/प्रोसेस करने, चैक लिस्ट तैयार कर वैरीफाई करने, आवश्यक होने पर संशोधित प्रपत्र ए-1 तैयार कर ई-सूची पर अपलोड/प्रोसेस करने इत्यादि के लिए कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	दिनांक
1.	प्रपत्र ए-1 को तैयार कर अपलोड करने की अंतिम तिथि	03.07.2021
2.	प्रपत्र ए-1 को ई-सूची पर Process करने की अंतिम तिथि	04.07.2021
3.	चैकलिस्ट डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	05.07.2021
4.	चैकलिस्ट को Verify करने की अंतिम तिथि	09.07.2021
5.	संशोधित प्रपत्र-1 को तैयार/अपलोड करने की अंतिम तिथि (यदि आवश्यक हो तो)	10.07.2021
6.	संशोधित प्रपत्र-1 को Process करने की अंतिम तिथि	
7.	प्रपत्र ए-1 को Freez करने की अंतिम तिथि	
8.	प्रारूप मतदाता सूची को डाउनलोड करने की अंतिम तिथि	12.07.2021

पुनः

निर्वाचक नामावली तैयार किए जाने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश आयोग के संदर्भित पत्र दिनांक 09.02.2021 में अंकित किए गए हैं। निर्वाचक नामावली तैयार करते समय इस पत्र में अंकित निर्देशों के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

विशेष नोट – चूंकि कोविड-19 अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अतः संक्रमण की रोकथाम के लिए निम्नलिखित निर्देशों की पालना भी आवश्यक रूप से की जाए:-

1. निर्वाचक नामावली तैयार करने की पूरी प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची में नियोजित कार्मिकों द्वारा कार्य सम्पादन के दौरान मास्क लगाना आवश्यक होगा एवं समय-समय पर सैनेटाईजर का उपयोग किया जाएगा।
2. मतदाता सूची से संबंधित कार्य के लिए आने वाले व्यक्तियों एवं कार्मिक द्वारा प्रत्येक स्तर पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु कम से कम छः फीट (2 गज) की दूरी रखी जाएगी।
3. मतदाता सूची की तैयारी हेतु नियोजित यदि किसी कार्मिक द्वारा कोरोना वायरस के लक्षण संबंधी बीमारी (बुखार, खांसी, जुकाम, श्वास लेने में परेशानी आदि) के बारे में सूचित किया जाए तो उसे तुरन्त प्रभाव से उसके कार्य से मुक्त कर दिया जाए।
4. निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण के दौरान विशेष अभियान तिथि दिनांक 18.07.2021 (रविवार) को मतदान केन्द्रों पर आने वाले मतदाताओं के हाथ सैनेटाईज किए जाने हेतु सैनेटाईजर की व्यवस्था एवं सामाजिक दूरी की पालना सुनिश्चित की जाए।
5. उक्त निर्देशों के अतिरिक्त कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी गाईडलाईनों की पूर्ण रूपेण पालना की जाए।

भवदीय,
चित्रा

(चित्रा गुप्ता)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

क्रमांक: एफ 7(1)(2)पंचा/रानिआ/2019/2678-2682

दिनांक: 21.06.2021

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रबंधक, REIL जयपुर।
4. प्रोग्रामर, कम्प्यूटर शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग।
5. संस्थापन/स्टोर/लेखा शाखा राज्य निर्वाचन आयोग।

अशोक कुमार जैन
(अशोक कुमार जैन)
उप सचिव